रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस0डब्ल्यू0/एस0पी0 587
लाइसेन्स नं0 एस0 पी0 44
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशलन रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-3 खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश विधन मण्डल के विधेयक)
लखनऊ, बुधवार, 23 मार्च, 1994
चैत्र 2, 1916 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या - 488/सत्रह-वि-1-1 (क) - 6-1994
लखनऊ, 23 मार्च 1994
अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1994 पर दिनांक 22 मार्च, 1994 को अनुमति प्रदान की और यह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण)

अधिनियम, 1994

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के पक्ष में लोक सेवाओं और पदों पर आरक्षण की, ओर उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

के पैतालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1- (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित संक्षिप्त नाम जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए और प्रारम्भ आरक्षण) अधिनियम, 1994 कहा जाएगा।

(2) यह 11 दिसम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2- इस अधिनियम में -

(क) लोक सेवाओं और पदों के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसी सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है :

(ख) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है:

(ग) "लोक सेवाओं और पदों" का तात्पर्य राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित सेवाओं और पदों से है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित की सेवायें और पद भी हैं :-

(एक) स्थानीय प्राधिकारी :-

(दो) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 2 के खण्ड (च) के यथा परिभाषित सहकारी समिति, जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत अंश समिति की अंश पूंजी के इक्यावन प्रतिशत के कम न हो :

(तीन) किसी केन्द्रीय या उत्तर प्रदेश अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई बोर्ड या कोई नियम या कोई कानूनी निकाय जो राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हों या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित कोई सरकारी कम्पनी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा वृत्त समादत्त शेयर पूंजी इक्यावन प्रतिशत से कम न हो :-

(चार) संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्प संख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था के सिवाय राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन कोई शिक्षण संस्था या जो राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करता हो, जिसके अन्तर्गत किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित कोई विश्वविद्यालय भी है :-

(पांच) जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को सरकार के आदेशों द्वारा, आरक्षण लागू था और जो उपखण्ड (एक) से (चार) के अधीन अच्छादित नहीं है।

(घ) किसी रिक्त के सम्बन्ध में "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि, जिसके भीतर ऐसी रिक्ति के प्रति सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाय, से है।

...जातियों, ...चित जन-जातियों ...र अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण	3-(1) लोक सेवाओं और पदों में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में, सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, उपधारा (5) में निर्दिष्ट रोस्टर के अनुसार रिक्तियों का, जिन पर भर्ती की जानी है, निम्नलिखित प्रतिशत आरक्षित किया जायेगा :- (क) अनुसूचित जातियों के मामले में इक्कीस प्रतिशत (ख) अनुसूचित जन-जातियों के मामले में दो प्रतिशत (ग) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में सत्ताइस प्रतिशत परन्तु खण्ड (ग) के अधीन आरक्षण अनुसूची-दो मे विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी पर लागू नहीं होगा। (2) यदि, भर्ती के किसी वर्ष के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन व्यक्तियों की किसी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरे रह जाय तो उस श्रेणी से सम्बन्धित व्यक्तियों मे से ऐसी रिक्ति को भरने के लिये विशेष भर्ती, तीन से अनाधिक, उतनी बार की जायेगी जैसी आवश्यक समझी जाय। (3) यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट तीसरी ऐसी, भर्ती में अनुसूचित जन-जातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए उपलब्ध न हो तो ऐसी रिक्ति अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरी जायगी। (4) जहां उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों को अनुपलब्धता के कारण उपधारा (3) में निर्दिष्ट विशेष भर्ती के पश्चात् भी बिना भरी रह जाती है तो उसे पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाले अगले वर्ष में जिसमें भर्ती की जानी है, इस शर्त के अधीन अग्रनीत किया जा सकेगा कि उपधारा (1) में उल्लिखित व्यक्तियों की सभी श्रेणियों के लिए रिक्तियों का कुछ आरक्षण उस वर्ष में कुछ रिक्तियों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। (5) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन आरक्षण को लागू करने के लिए अधिसूचना ओदश द्वारा, एक रोस्टर जारी करेगी जो अनवरत् रूप से लागू रहेगा, जब तक यह समाप्त न हो जाय। (6) यदि उपधारा (1) में उल्लिखित किसी श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता मे सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है। तो उसे उपधारा (1) के अधीन ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। (7) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार के आदेशों के अधीन आरक्षण लागू हो तो ऐसे सरकारी आदेश तब तक लागू रहेंगे जब तक उन्हें उपान्तरित या विखण्डित न कर दिया जाये।
अधिनियम के अनुपालन के लिए उत्तरदायित्व और शक्ति	4- (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किसी नियुक्ति प्राधिकारी या किसी अधिकारी या कर्मचारी को, अधिसूचित आदेश द्वारा उत्तरदायित्व सौंप सकती है।